राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

डिकी बमूकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत–फौलोअप कैम्प जायल

मु0न0 16/2018

वादीगण–

1. रिछपाल सिंह पुत्र उर्जीणसिंह दत्तक पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गडरिया तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. मंगेज कंवर पत्नी स्व. नारायण सिंह
2. विकम सिंह उर्फ भीख सिंह पुत्र उर्जीणसिंह दत्तक़ पुत्र कल्याण सिंह
3. कल्याणसिंह पुत्र मुकनसिंह
4. शुभकंवर उर्फ सम्पत कंवर पत्नी स्व.धनसिंह
5. प्रभुसिंह पुत्र उर्जीणसिंह
6. छगन कंवर पत्नी स्व. उर्जीण सिंह जातियान राजपूत निवासीगण गडरिया तहसील जायल जिला नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :–29.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

1. वादी संख्या 1 रिछपालसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 मंगेज कंवर के सामलाती हक बंट मे मोजा गडरिया के खेत ख.न. 49 रकबा 51.10 वीघा में से 21 वीघा पूर्वी भाग , ख नं 45 रकबा 15.01 वीघा में से 12.01 वीघा पूर्वी भाग , ख नं 56 रकबा 1 वीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 विकमसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 कल्याणसिंह के सामलाती हक बंट मे मोजा गडरिया के खेत ख.न. 49 रकबा 51.10 वीघा में से 15.05 वीघा मध्य भाग , ख नं 82 रकबा 33.04 वीघा में से 16.12 वीघा पूर्वी भाग , ख नं 45 रकबा 15.01 वीघा में से पश्चिमी माठ पर उतरी 01.10 वीघा भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 शुभ कंवर व प्रतिवादी संख्या 5 प्रभुसिंह व 6 छगन कंवर के सामलाती हक बंट मे मोजा गडरिया के खेत ख.न. 49 रकबा 51.10 वीघा में से 15.05 वीघा पश्चिमी भाग, ख नं 82 रकबा 33.04 वीघा में से 16.12 वीघा पश्चिमी भाग तथा ख नं 45 रकबा 15.01 वीघा में से 1.10 वीघा पश्चिमी माठ पर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ग फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो लीज ग मुबलिक ग बाबत् ग तक ग को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.06.2018 को जारी किया गया

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जायल
जायल जिला नागौर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			मेहनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहन		
मेहनताना वकील			फीस कमी नर		
खर्चा गवाहन			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
फीस कमीश्नर			मुतफर्रिक		
बबत इजराय हुक्मीजान					
मुतफर्रिक					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला–नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत–फोलोअप कैम्प जायल

क्रमांक–रा.लो.अदा.अभि./2018/ 807 दिनांक– 29.06.2018

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी जायल

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner